



ई-मेल / डाक द्वारा

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT—250001

सं० 147/पविनिनिल/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 26.04.2025

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ०प्र० पाकालि, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 565/सीई(हाईडिल)/पीए-6/ई-2/जेके, दिनांक 01.04.2025 के द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न सहयोगी वितरण निगमों, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं केस्को, कानपुर में कार्यरत निम्नांकित 40% कोटे के अन्तर्गत तकनीशियन कार्मिकों को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर पश्चिमांचल डिस्कॉम, मेरठ में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रोन्नत कर 02 नग कार्मिकों को आवंटित किया गया। तत्पश्चात् 02 नग कार्मिकों द्वारा पश्चिमांचल डिस्कॉम, मेरठ में कार्यभार ग्रहण आख्या प्रस्तुत की गयी।

अतः निम्न अवर अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 में अंकित इकाई में अग्रेतर तैनाती हेतु निम्न प्रतिबन्धों के साथ आवंटित किया जाता है :-

(क) 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन द्वारा प्रोन्नत कार्मिकों का विवरण :-

Sl. No.	Seniorty Number	Name/ Father's Name/Home District / Date of Birth/ SAP ID	Alloted Unit
1	2	3	4
1	CEHC-4245A	VIKASH KUMAR GUPTA/ OM PRAKASH GUPTA/ Ghaziabad/ 28-12-1989/ 17700879	प्रवर्तन दल, सम्भल
2	CEHC-4247	MURTAZA ALI KHAN/ AHMAD ALI KHAN/ RAMPUR/ 23-06-1981/ 17702225	गजरौला क्षेत्र, गजरौला

उपर्युक्त कार्मिकों की चयन द्वारा प्रोन्नति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की गयी है:-

1. उक्त कार्मिकों को अवर अभियन्ता के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नति के पश्चात नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग-अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे, जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सकें:-

(क) तकनीशियन कर्मी निलम्बित न हो।

(ख) कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन/निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(ग) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष नहीं है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(घ) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(च) उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

2. कार्मिक की चयन द्वारा यह प्रोन्नति पूर्णरूप से अस्थायी है, जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3. सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को/ट्रांस्को के प्रबन्ध निदेशक उपरोक्त आवंटित कार्मिक की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयनित/प्रोन्नत समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

4. चयनित/प्रोन्नत कार्मिक के नाम, पिता का नाम, गृह जनपद, जन्म तिथि एवं वर्तमान तैनाती इकाई इत्यादि में यदि टंकण की त्रुटि के कारण कोई भिन्नता परिलक्षित होती है, तो उन विवरणों को सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन योग्य होगी।

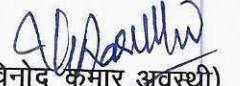
5. नव-तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/योगदान आख्या लेने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण-पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी से दो प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति अपने कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता(हा0), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
 6. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा, जिसकी एक प्रति नव तैनाती कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
 7. उक्त चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव नियमानुसार नहीं पायी जाती है, तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।
- (नोट :- उपरोक्त कार्मिक को तय समय-सीमा के अन्दर कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को ही जिम्मेदार माना जायेगा)

प्रबन्ध निदेशक

सं० 147 (i)/पविविनिनि, तददिनांक : 26.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(हाईडिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनके उपरोक्त वर्णित ज्ञाप संख्या 565 दिनांक 01.04.2025 के संदर्भ में।
2. शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिनि, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता (वि०) पविविनिनि, गजरौला क्षेत्र, गजरौला।
4. अधीक्षण अभियन्ता (मु०), पविविनिनि, मेरठ।
5. अपर पुलिस अधीक्षक, प्रवर्तन, पविविनिनि, मेरठ।
6. निरीक्षक, प्रवर्तन दल, सम्भल।
7. सम्बन्धित कार्यालय/सम्बन्धित कार्मिक/कट फाइल।


(विनोद कुमार अवस्थी)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)